

## डिस्कलेमर

आदेश संख्या 23/2022-23 के मुख्य पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

आदेश संख्या 23/ 2022-23



## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) द्वारा  
कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए  
तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के  
मामले में

जारी करने की तारीख: 23/09/2022

ऐरा भवन  
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स  
सफदरजंग हवाईअड्डा  
नई दिल्ली – 110003

## अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

एआईएसएटीएस, बैंगलुरु के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.12	प्राधिकरण कैपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए “लाइट टच अप्रोच” के अंतर्गत एआईएसएटीएस के टैरिफ निर्धारण कार्य को मानने का निर्णय लेता है, क्योंकि विनियमित सेवाएं ‘मटीरियल नहीं’ समझी जाती है।	8
अध्याय संख्या 3	3.9	प्राधिकरण एआईएसएटीएस के संबंध में तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विमान यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	10
अध्याय संख्या 4.	4.9	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 5.	5.13	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	19
अध्याय संख्या 6.	6.13.1 6.13.2 6.13.3 6.13.4 6.13.5	प्राधिकरण एआईएसएटीएस द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए शेड्यूल्ड उड़ानों और अंतरराष्ट्रीय नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों तथा सामान्य विमानन प्रचालनों (संलग्नक -II के अनुसार) के लिए प्रस्तुत टैरिफ दर कार्ड (संलग्नक I के अनुसार) को मानने का निर्णय लेता है। प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि संलग्नक (I और II) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा। प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी। प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी। प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि एआईएसएटीएस को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 01.11.2021 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।	26

## अध्याय 8 : आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और एआईएसएटीएस द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) द्वारा कैपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं “मटीरियल किन्तु प्रतिस्पर्धी” हैं। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए ‘लाइट टच अप्रोच’ अपनाने का निर्णय लेता है।
- (ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि संलग्नक (I और II) में इंगित टैरिफ दरों वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।
- (iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
- (iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।
- (v) इसमें उपर्युक्त निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (vi) संशोधित टैरिफ आदेश 01.10.2022 से प्रभावी किया जाएगा।
- (vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)  
सचिव

सेवामें,

मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,  
16वां तल, कॉर्मर्ज II, इंटरनेशनल बिजनेस पार्क,  
ओबेरॉय गॉर्डन सिटी, ऑफिस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,  
गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई -400063  
(मार्फत : श्री संजय गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी)

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,  
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. श्री हरी मरार, सीईओ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ब्रावो -I प्रशासनिक ब्लॉक, कैपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु देवनहल्ली - 560300 भारत